न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 22 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री दीपक कश्यप पुत्र श्री नारायण कश्यप

गली नं0 06, मकान नं0 जी 921 रानी चौक, गणेश गुवाडी, पंचशील नगर, अजमेर

पुलिस थाना किश्चयनगंज, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री पंकज कुमावत – अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक **12.03.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2024 को गणेश गवाडी, पंचशील नगर अजमेर के नागरिको द्वारा दीपक कश्यप पुत्र नारायण कश्यप के विरूद्व सीएम हेल्पलाईन पर अपने घर में अवैध रूप से गैस भण्डारण की प्राप्त शिकायत की जांच के संदर्भ में नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में श्री खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक के जांच दल द्वारा दीपक कश्यप के रानी चौक स्थित निवास पर पहुँचे। यहॉ मौके पर 07 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर व 02 खाली व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाये गये। श्री दीपक द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अपने निवास पर एलपीजी गैस सिलेण्डरो का अवैध भंडारण किया जाना पाया गया। उक्त सिलेण्डरो के सबंध में अप्रार्थी द्वारा वाउचर तथा गैस डायरी उपलब्ध नही कराये गए। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (ए) (सी) की अवहेलना होने के कारण उक्त एल.पी.जी सिलेण्डर को राज हित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स गुलाब गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री राधेश्याम पुत्र श्री जीवनराम को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर निम्नानुसार पाया गया:–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	754696	SEALD BPCL	15.7	29.9	14.2
2	26889	SEALD BPCL	15.4	29.6	14.2

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

3	773933	SEALD BPCL	15.8	30.0	14.2
4	206561	SEALD BPCL	15.5	29.7	14.2
5	101631	SEALD BPCL	15.6	29.8	14.2
6	450887	SEALD BPCL	15.6	29.8	14.2
7	अपठनीय	SEALD BPCL	15.6	29.8	14.2
8	अपठनीय	अपठनीय BPCL COM	19.3	19.3	0
9	010791	अपठनीय BPCL COM	19.0	19.0	0

सिलेण्डर को मैसर्स गुलाब गैस एजेन्सी अजमेर के कार्मिक श्री राधेश्याम पुत्र श्री जीवनराम को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, एवं 02 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं व जरिये अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर बहस को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.07.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने निवास स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, एवं 02 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नहीं है। मौके पर रिफिलिंग मशीन जब्त नहीं की गई जिससे अप्रार्थी पर लगाये गये आरोप साबित हो। कानून की जानकारी के अभाव में सिलेण्डर एकट्ठे रखे गये थे। अतः सिलेण्डर लौटाये जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.07.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, एवं 02 खाली

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

व्यावसायिक सिलेण्डर मय एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर